

## जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पी0पी0 एण्ड एम0/फाइल सामान्य शाखा/प्रे0 152/  
दिनांक-- 12/12/01

### आदेश

विषय: कृषि वक्रोवशान के बढ़े हुये भार की रवैच्छिक घोषणा दिनांक  
31 दिसम्बर 2001 तक।

निगम द्वारा जनहित में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुये लोड की 30  
नवम्बर 2001 तक रवैच्छिक घोषणा करने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या  
क्रमांक जोधपुर डिस्कॉम / अनु-पी. पी. एण्ड एम. / पत्रा. / प्रे0 75  
दिनांक 12/3/2001 व आदेश संख्या क्रमांक जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पी0पी0  
एण्ड एम0/प. /प्रे0 1239 दिनांक 5.11.2001 (आर. ई. ओ. 07 ) के द्वारा  
की गई रियायतें सी गई थी इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है।  
कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुये इस बारे में निर्णय लिया  
गया है कि इस योजना को 31 दिसम्बर 2001 तक बढ़ा दिया जावे।

अतः बढ़े हुये भार की रवैच्छिक घोषणा का समय 31 दिसम्बर 2001  
तक बढ़ाया जाता है। आदेश संख्या 75 दिनांक 12.3.2001 में दिये गये लोड  
गार्जोन्स व अन्य शर्तें कम्पावत रहेंगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।



अधीक्षक अभिलेखी (पी. पी. एण्ड एम.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर